न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 100/2022

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

भानाराम पुत्र देवाराम जाति भांबी साकिन सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।	1. बालाराम पुत्र ताराराम 2. भैराराम पुत्र ताराराम 3. रतनाराम पुत्र देवाराम 4. हीराराम पुत्र देवाराम जातियान भांबी निवासी सिणधरी चारणान 5. राकेश कुमार पुत्र बाबुलाल जाति जिनगर निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी। 6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री चम्पालाल प्रजापत, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ताप्रतिवादी सं. 5 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 06 पैरोकार उपस्थित, शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 27.08.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा– सिणधरी चारणान पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 33 रकबा 20.5971 हैक्टेयर के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 23.10.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:11:18 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा– सिणधरी चारणान पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 33 रकबा 20.5971 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	भानाराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल स. देह खातेदार	सिणधरी चारणान	33	5.0953	बा.दो.	0.66	हरा
2.	बालाराम 50953/297628 भैराराम 50953/297628 पि. ताराराम रतनाराम 50953/148814 हीराराम 46908/148814 पि. देवाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	सिणधरी चारणान	33	14.8814	बा.दो	1.94	लाल
3.	राकेशकुमार पुत्र बाबूलाल जाति जीनगर सा. सिणधरी चौसीरा खातेदार	सिणधरी चारणान	33	0.4045	बा.दो	0.05	बैंगनी
4.	सयुक्त खाता (रास्ते हेतु भूमि) बालाराम 1/8 भैराराम 1/8 पि. ताराराम भानाराम 1/4 रतनाराम 1/4 हीराराम 1/4 पि. देवाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।	सिणधरी चारणान	33	0.2159	बा.दो	0.03	पीला

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:11:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

भानाराम पुत्र देवाराम जाति भांबी साकिन सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

1. बालाराम पुत्र ताराराम
2. भैराराम पुत्र ताराराम
3. रतनाराम पुत्र देवाराम
4. हीराराम पुत्र देवाराम
   जातियान भांबी निवासी सिणधरी चारणान
5. राकेश कुमार पुत्र बाबुलाल
   जाति जिनगर निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी।
6. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः— 53 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :— 100/2022
निर्णय दिनांक :— 27.08.2025

वादी की ओर से **श्री चम्पालाल प्रजापत** अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 5 की ओर से श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता तथा राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.08.2025 को **श्री जगदीशसिंह आशिया** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:— वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27.08.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 27.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील		1. [illegible] 2.अर्जी के लिए स्टा[illegible] 3.प्लीडर की फीस 4.[illegible] 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:11:18 IST
Reason: SelfAttested